

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन मथुरा के सदन की बैठक दिनांक 20.01. 2018 दिन
शनिवार जो भूतेश्वर जलकल कम्पाउण्ड स्थित सभागार में पूर्वाह्न 11:30 बजे सम्पन्न
हुयी।

1— प्रमुख, सचिव, उप्राज्ञाता नगर विकास अनुभाग—1 से दिनांक 23.12.2017 को जारी शासनादेश सख्त्या 5121 / 9—1—217—119रिट/ 2011विषय नागर निकायों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्वाचन न कराये जाने की स्थिति में निकायों के कार्यों के प्रबन्धन हेतु व्यवस्था के तथा निकायों के गठन की अधिसूचना की तिथि से 07.12.2017 से एक माह के अन्दर प्रदेश की समस्त नगर निकायों में प्रथम बैठक आहूत किये जाने के सम्बन्ध में है के कम मे नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा के सदन की प्रथम बैठक विषयक प्रस्ताव सदन के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

सदन अवगत हुआ। प्रमुख, सचिव, उप्राज्ञाता नगर विकास अनुभाग—1 से दिनांक 04 जनवरी 2018 को जारी शासनादेश सख्त्या 24 / 9—1—2017—119रिट/ 2011विषय नागर निकायों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्वाचन न कराये जाने की स्थिति में निकायों के कार्यों के प्रबन्धन हेतु व्यवस्था के सम्बन्ध में है, जिसके द्वारा शासनादेश सख्त्या 3420 दिनांक 15 जुलाई 2017 को निरस्त करते हुये दिनांक 23 जनवरी 2018 के भीतर प्रथम बैठक आहूत किये जाने के निर्देश जारी किये थे, के कम मे नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा के सदन का प्रथम अधिवेशन दिनांक 20.01.2018 को हुआ।

2— नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत कार्यकारिणी—समिति गठन हेतु प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सदन अवगत हुआ। कार्यकारिणी समिति के 12 सदस्यों के निर्वाचन हेतु समय सारिणी घोषित की गयी। सर्वसम्मति से पार्षद सर्वश्री वैभव अग्रवाल, मेधश्याम सैनी, रूप सिंह पटेल, हेमन्त अग्रवाल, विष्णु सिंह, मीरा अग्रवाल, राजेश सिंह (पिन्टू), रामदास चतुर्वेदी, अनीता गुर्जर, धुब्र नारायण शर्मा, तिलकवीर, अंजली कर्दम को कार्यकारिणी समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया।

मुकेश आर्यबन्धु
महापौर
हस्ताक्षर
दिनांक 20.01.2018